

**\*जनपद – संतकबीरनगर\***

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*दिनांक 11.11.2023\***

आज दिनांक 11.11.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **\*श्री अखिल कुमार\*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **\*श्री आर0के0 भारद्वाज\*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

**\*मिशन शक्ति 4.0 के तहत थाना मेहदावल पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार\***

शासन द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे “मिशन शक्ति फेज 4” अभियान के तहत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मेहदावल **\*श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना मेहदावल पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 478/2023 धारा 376 / 363 / 366 / 120बी / 504 / 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नरेश यादव पुत्र हरिलाल यादव निवासी रक्शा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-\*** उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा, कांस्टेबल गिरिजेश कुमार।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 56,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया\***

आज दिनांक 11.11.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 56,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।